न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 03/06
तारीख दायरा : 09.04.2018

उनवान

1.मगंल पुत्र खटकुल जाति चमार ।
2.रघुवीर सिंह पुत्र सुखपाल जाति जाट ।
3.राजाराम पुत्र सुखपाल जाति जाट निवासीयान रौणपुर तहसील लक्ष्मणगढ।

....प्रार्थीगण।

बनाम

1.भौन्दूराम पुत्र नथोली जाति चमार। (मृतक)
1/1.अमरचन्द पुत्र भौन्दू।
1/2.नवल किशोर पुत्र भौन्दू।
1/3.गिर्राजी बेवा बन्नू।
1/4.नसरू पुत्र बन्नू।
1/5.कपिल पुत्र बन्नू।
2.प्यारेलाल पुत्र नथोली जाति चमार।
3.जगनप्रसाद पुत्र नथोली जाति चमार।
4.ग्यारसा पुत्र भिक्कन जाति जाटव ।
5.बदलू पुत्र छंगाराम जाति जाटव निवासीयान रौणपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
6.कुन्दन पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी रौणपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.)

न्यायालय द्वारा :–

::निणर्य ::

दिनांकः 23.5.18

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. इस आशय का पेश किया कि न्यायालय द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण में धारा 251–अ के तहत दिनांक 27.05.2016 को निर्णय पारित किया गया था तथा निणर्य के अनुसार ख.न. 380 के तर्फ पूर्व मेड से लगता हुआ 10 फुट रास्ता ख.न.358 कि उत्तरी मेड से पश्चिम की ओर चलकर ख.न. 358,359 में से 10 फुट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये गये थे तथा डी.एल.सी. रेट से रास्ते की भूमि की कीमत जमा कराने के आदेश प्रदान किये गये थे। जबकि प्रार्थीगण द्वारा ख.न.380 में से 10 फुट चौडा रास्ता चाहा गया था उसके बाद तर्फ पश्चिम को ख.न.358 व 359 स्वंय प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। निणर्य दिनांक 27.05.2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा ख.न. 358 व 359 के रास्ते की कीमत भी प्रार्थीगण से जमा करवाई जा रही है जबकि उक्त दोनों नम्बर प्रार्थीगण की स्वंय की खातेदारी की भूमि है। अन्त में निवेदन किया गया कि ख.न. 380 के सम्बन्ध में ही डी.एल.सी. रेट के अनुसार कीमत जमा करवाई जावे।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

दोनों पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 27.05.2016 के अनुसार ख.न.380 के तर्फ पूर्व मेड से लगता हुआ 10 फुट रास्ता ख.न.358 की उत्तरी मेड से पश्चिम की ओर चलकर ख.न. 358,359 में से 10 फुट चौडा रास्ता कायम किये जाने एवं डी.एल.सी. रेट के अनुसार कीमत जमा कराने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थना पत्र 251–अ में भी प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 380 में से ही रास्ते का अनुतोष चाहा गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 358 एवं 359 स्वंय प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। चूंकि ख.न. 358 व 359 की पहुंच मार्ग के लिए ही प्रार्थीगण द्वारा ख.न. 380 के तर्फ उत्तर पूर्व मेड से लगता हुआ 10 फुट रास्ता चाहा गया था। इसलिए नियमानुसार ख.न. 380 के मार्ग की भूमि की ही कीमत नियमानुसार जमा करवाया जाना उचित होगा। ख.न. 358 व 359 स्वंय प्रार्थीगण की निजी खातेदारी की भूमि है उसमें से प्रार्थीगण को ही 10 फुट रास्ता कीमतन दिये जाने का आदेश न्यायसंगत नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निणर्य दिनांक 27.05.2016 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि केवल खसरा नम्बर 380 के तर्फ पूर्व मेड के लगता हुआ 10 फुट रास्ता की भूमि की डी.एल.सी. रेट के अनुसार कीमत जमा करवाई जाकर रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दप्तर हो। सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ–अलवर

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०